<u>न्यायालयः प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जिला ग्वालियर म.प्र.</u>

<u>जमानत प्रकरण क्रमांक–2205/23</u>

जितेन्द्र रजक पुत्र स्व. श्री बनवारी लाल रजक
आयु करीब 26 वर्ष, निवासी–खजांची बाबा की
दरगाह के पास, गुड़ी गुड़ा का नाका लश्कर
ग्वालियर म.प्र. —— आवेदक

बनाम

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना झांसी रोड
जिला ग्वालियर म.प्र. —— अनावेदक

पुनश्च (04.08.2023)

यह जमानत आवेदन माननीय सत्र न्यायाधीश ग्वालियर की न्यायालय से अंतरण पर निराकरण हेतु प्राप्त।

आवेदक द्वारा श्री बृजेश तिवारी अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य द्वारा श्री एम.पी.बरूआ अति. लोक अभियोजक उप.।

आरक्षी केन्द्र झांसीरोड ग्वालियर से अपराध क्रमांक–439/23 अन्तर्गत धारा 294, 327, 506, 34 भा.

दं.सं. की केस डायरी मय कैफियत प्राप्त हुई।

आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 439 दं.प्र.सं. पर उभय पक्ष को सुना गया।

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र के समर्थन में रूपा रजक का इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया कि यह आवेदक का धारा 439 दं.प्र.सं. के तहत प्रथम जमानत आवेदन है तथा आवेदन पत्र में यह उल्लेखित किया गया है कि माननीय न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में अन्य कोई आवेदन विचाराधीन नहीं है न ही पूर्व में निरस्त हुआ है।

आवेदक की ओर से आवेदन पेश कर निवेदन किया है कि आवेदक के विरूद्ध पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक–439/2023 पंजीबद्ध किया गया है जिसमें आवेदक को दिनांक 30.07.2023 को गिरफ्तार कर न्यायिक निरोध में भेज दिया गया है। आवेदक का धारा 437 दं.प्र.सं. का आवेदन दिनांक 02.08.2023 को निरस्त किया गया है। आवेदक द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है। उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। आवेदक ग्वालियर का स्थाई निवासी होकर संभ्रान्त परिवार का नागरिक है जिसके भागकर जाने या साक्ष्य को प्रभावित किये जाने की कोई आशंका नहीं है। फरियादी एवं आरोपी के मध्य मात्र मुंहवाद एवं मारपीट हुई है जिसमें आरोपी जितेन्द्र रजक के सिर में चोटें आई हैं और टांके लगे हुए हैं। उसके उपरांत भी पुलिस थाना झांसी रोड द्वारा उसका मेडीकल परीक्षण नहीं कराया गया है। आरोपी को जेल भिजवाने के आशय से प्रकरण में धारा 327 जोड़ी गयी है। वह न्यायालय द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन करेगा। अतः उसे नियमित जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया है।

अभियोजन की ओर से श्री एम.पी.बरूआ अति. लोक अभियोजक ने आवेदक को जमानत दिये जाने का विरोध कर आवेदन पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मामले के अनुसार दिनांक 29.07.2023 को श्याम शिवहरे ने आवेदक/अभियुक्त जितेन्द्र एवं शिवम के विरूद्ध आरक्षी केन्द्र झांसी रोड पर

इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि आज रात्रि के 09.00 बजे के लगभग वह टमटम में सवारी बैठाकर कम्पू से नाका चन्द्रवदनी आ रहा था। टांगा स्टैण्ड पर सवारी उतारने पर दो लड़के आये और उससे शराब पीने के लिये 500/– रूपये मांगने लगे, मना करने पर लात घूसों से मारपीट की और गालों में थप्पड़ मारे। वे दोनों एक दूसरे को शिवम और जितेन्द्र बुला रहे थे। जितेन्द्र नशे की हालत में था वह टमटम पर गिर गया जिससे उसके माथे और नाक पर चोटें आई। उसे जान से मारने की धमकी दी। उक्त रिपोर्ट पुलिस थाना झांसी रोड के अपराध क्रमांक–439/23 पर भा.दं.सं. की धारा 294, 327, 506/34 के तहत दर्ज हुई। अनुसंधान के दौरान जितेन्द्र को गिरफ्तार किया गया।

तर्क सुनकर विचार किया। केस डायरी का अवलोकन किया।

आवेदक/अभियुक्त जितेन्द्र को दिनांक 29.07.2023 को गिरफ्तार किया गया है तब से वह अभिरक्षा में है। जितेन्द्र को भी चोटें कारित हुई हैं। उसके विरूद्ध कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है। मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता। प्रकरण के गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना आवेदक/अभियुक्त जितेन्द्र को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उसकी ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 439 दं.प्र.सं. **स्वीकार** किया जाता है।

आदेशित किया जाता है कि आवेदक/अभियुक्त जितेन्द्र की ओर से संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि योग्य 10,000/– रूपये की सक्षम जमानत तथा इतनी ही राशि का स्वयं का बंध पत्र इस आशय का प्रस्तुत किये जाने पर कि अनुसंधान में सहयोग करेगा, न्यायालय में प्रत्येक पेशियों पर उपस्थित

रहेगा तथा साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा तो उसे नियमित जमानत पर छोड़ा जाये।

आदेश की प्रति संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित की जावे तथा एक प्रति सहित केस डायरी संबंधित थाने को वापिस भेजी जावे।

जमानत प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण रिकार्ड रूम भेजा जावे ।

सही/–

(आदित्य रावत)

प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश

ग्वालियर म0प्र0

ADITYA RAWAT

Digitally signed by ADITYA RAWAT
Date: 2023.08.04 14:59:03 +0530